



# Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

No. HQ/PIO/RTI/11/14

Date: 28.01.2014

**Sh. Mukesh Kumar,**

S/o Sh. Chandrapal Singh,  
Near Railway Line, Khurja Junction,  
Dist.-Bulandshahar-203132.

**Sub:** Information under RTI Act - 2005

**Ref:** Your application dt. 23.12.2013, received in this office on 09.01.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है:-

1. ग्राम मैना मोजपुर स्थित खसरा सं० 102 का क्षेत्र 0.1120हे०, खसरा सं० 103 का क्षेत्र 0.0288हे०, खसरा सं० 177 का क्षेत्र 0.1152हे०, खसरा सं० 174 का क्षेत्र 0.2160हे० तथा खसरा सं० 176 का क्षेत्र 0.1454हे० भूमि का अधिग्रहण परियोजना हेतु किया गया है तथा श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह का अर्जित भूमि में बना आवास भी अधिग्रहित किया गया है। श्री चन्द्रपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार उक्त अर्जित भूमि में उसका हिस्सा 0.1774हे० है।
2. इस परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किया गया है तथा कृषि भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर में सक्षम अधिकारी के अभिनिर्णय के अनुसार धारा 20छ (1) के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, धारा 20च (9) के अनुसार 60 प्रतिशत सोलेशियम व मौलिक पात्रता के खण्ड 'ए' के प्रस्तर-1 (iv) के अनुसार 1500 वर्ग मी० तक रू० 20,000/- व 1500 वर्ग मी० से अधिक भूमि अर्जित होने पर रू० 15/- प्रति वर्ग मी० की दर से अनुग्रह अनुदान की धनराशि देय है। यदि प्रभावित भू-स्वामी प्रतिकर प्राप्त करने की एक वर्ष की अवधि के अन्दर अन्यत्र भूमि कय करता है, तो स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्रस्तर-1 (viii) के अनुसार वापस किए जाने का प्राविधान है। अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग/मान्यता प्राप्त संस्था से कराने के पश्चात प्रतिकर देय है।
- 3 व 5. रेल मंत्रालय द्वारा, DFCCIL Project के लिए नौकरी के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
4. श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह को उसके हिस्से की अर्जित भूमि क्षेत्र 0.1774हे० का प्रतिकर सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए अभिनिर्णय के अनुसार रू० 10,09,747/- तथा अनुग्रह अनुदान की राशि रू० 20000/- का भुगतान किया जा चुका है (प्रपत्र-11 की छाया प्रति संलग्न)। अभी तक अभिनिर्णय के अनुसार बढ़ी हुई धनराशि तथा उस पर देय ब्याज सहित रू० 70,397/- व निर्मित परिसम्पत्तियों (मकान व समाधि) व बोरिंग का प्रतिकर रू० 7,90,000/- व 274 वर्ग मी० का रू० 15/- प्रति वर्ग मी० की दर से रू० 4110/- अनुग्रह अनुदान तथा वृक्षों के प्रतिकर हिस्सेनुसार दिया जाना अवशेष है। श्री चन्द्रपाल सिंह नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।
6. इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार.

(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/ RTI

Copy to: 1. CPM/Meerut

2. Dy. Director/Infra Cell, Rly Board, in reference to Railway Board's letter No.2013/Infra/15/10 dt. 09.01.2014.

DESPATCH